आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश	
31/08/23	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित।	
	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष के पूर्वजों को सादा हुकुमनामा के आधार पर मौजा - अमुनिया में स्थित खाता - 01/41, प्लाट - 234/438, रकबा - 27 डी, खाता - 01/65, प्लाट - 234/472 रकबा - 48 डी एवं खाता नं० - 01/45, प्लाट - 234/441, रकबा - 75 डी. हासिल है। वर्तमान में जमीन पर किसी का दखल - कब्जा नहीं है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर चाहरदिवारी करने हेतु नींव खोदने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना है।	
	उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रस्तुत भूमि का एक अंश वर्ष 1972 में प्रथम पक्ष के पूर्वजों को	

...की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	निबंधित विक्रय-पत्र के माध्यम से हासिल है तथा एक अंश सादा हुक्मनामा के माध्यम से भूतपूर्व जमींदार से हासिल है। उक्त दोनों दस्तावेजों के निष्पादन के पश्चात प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हैं तथा द्वितीय पक्ष उनके स्वामित्व एवं दखल को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में विक्रय-पत्र की छाया-प्रति एवं रेन्ट रौल की छाया-प्रति दाखिल किया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रथम पक्ष के पूर्वज कैला मियाँ को हुक्मनामा के माध्यम से जमीन हासिल थी। उक्त कैला मियाँ के वंशज एवं सह-अंशधारी (Co-Sharer) से द्वितीय पक्ष के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों ने भूमि का क्रय किया है तथा क्रीत भूमि पर दखलकार हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा बेची गई जमीन पर दावा करने के कारण स्वत्व वाद	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सं० - 110/2010, मुन्नन मियाँ बनाम मो० मुमताज अंसारी व्य० व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में विचाराधीन है। अतः यह वाद खारिज करने योग्य है। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में पंजी-। की छाया प्रति, सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति, विक्रय पत्र सं० - 4367, दिनांक - 26/04/2004 की छाया-प्रति, विक्रय-पत्र सं० 475, 3767 एवं 3793 की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, दस्तावेज एवं थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथमदृष्टया विवाद स्वत्व एवं दखल-कब्जा को लेकर है। स्वत्व के निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं० - 110/2010 विचाराधीन है। बिना किसी आदेश के इस वाद को समाप्त किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि अपनी बात व्यवहार न्यायालय में रखें।	
	31/08/23 SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.10.10 14:32:21 +05:30
Location: 192.168.45.238